INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Signature

ACC Name: DEVENDRA SINGH
UP 14538104
Licence No 27
S.K.Nagar

| | | |
|---|---|---|
| Certificate No. | : | IN-UP01396820049027V |
| Certificate Issued Date | : | 30-Aug-2023 11:01 AM |
| Account Reference | : | NEWIMPACC (SV)/ up14538104/ KHALILABAD SADAR/ UP-SKB |
| Unique Doc. Reference | : | SUBIN-UPUP14538104983728489949HV |
| Purchased by | : | INDRAJ GYAN SEWA SAMITI ODWARA BASTI |
| Description of Document | : | Article 4 Affidavit |
| Property Description | : | Not Applicable |
| Consideration Price (Rs.) | : | |
| First Party | : | INDRAJ GYAN SEWA SAMITI ODWARA BASTI |
| Second Party | : | Not Applicable |
| Stamp Duty Paid By | : | INDRAJ GYAN SEWA SAMITI ODWARA BASTI |
| Stamp Duty Amount(Rs.) | : | 100 (One Hundred only) |

NOTARIAL NOTARIAL CANCELLED

[illegible] है।

रामनाथ मिश्र
मदन मोहन दुबे

30/8/23

123

हम मदनमोहन दूबे (अध्यक्ष) एवं राजनाथ मिश्र (सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव इन्द्रराज ज्ञान सेवा समिति जामडीह शुक्ल, लबनापार, बस्ती शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते है-

1.यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा इशरावती देवी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कॉलेज, ओड़वारा, बस्ती नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2.यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम ग्राम- ओड़वारा, जनपद- बस्ती में गाटा संख्या 272/0.231हे0, 273/0.324हे0, 274/0.253हे0 एवं 275क/0.027हे0 कुल रकबा 0.835 हेक्टेयर भूमि है।

3.यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4.यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 272/0.231हे0, 273/0.324हे0, 274/0.253हे0 एवं 275क/0.027हे0 कुल रकबा 0.835 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 04.07.2019 द्वारा पारित किया गया है।

5.यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6.यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7.यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8.यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एव प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यकम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9.यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनो मे फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यकमो के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व मे कभी किया गया है, और न ही भविष्य मे कभी किया जायेगा।

10.यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11.यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12.यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती

है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13 मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह0 सचिव

ह0 अध्यक्ष

NOTARY

S. KUMAR

ADVOCATE